Narsi Ram *v.* Guru Jambheshwar University, Hisar & others
(Jawahar Lal Gupta, J.)

जवाहर लाल गुप्ता और बलवंत राय से पहले जे.जे

नरसी राम, -याचिकाकर्ता

बनाम

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और

अन्य, -प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 97 का क्रमांक 732

20 अगस्त 1997

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में रीडर के दो पदों पर चयन - चयन और नियुक्तियों को चुनौती दी गई - याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए प्रतीक्षा सूची में डाल दिया कि चयनित व्यक्तियों में से एक विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाए गए समय तक पद पर नौकरी शुरू होने में विफल रहा था। और, इसलिए, प्रस्ताव को रद्द माना जाना चाहिए - दावा बरकरार रखा गया है क्योंकि आगे विस्तार की अनुमति देना उचित नहीं होगा - अन्य चयनित व्यक्ति रीडर के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए, अयोग्य है - शिक्षण और अनुसंधान का 8 वर्ष का अनुभव आवश्यक है - यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि कोई शोध वास्तव में नियुक्तिकर्ता द्वारा की गई - नियुक्ति रद्द कर दी गई और रीडर के पद के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया गया।

अभिनिर्धारित है कि ज्वाइनिंग समय का विस्तार हमेशा जारी रहने वाली या कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी ने करीब डेढ़ साल तक इंतजार किया। समय को और बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। 14 जुलाई, 1997 के पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि यदि "आप 31 जुलाई, 1997 तक अपने कर्तव्यों में शामिल होने में विफल रहते हैं, तो आपको पर्यावरण विज्ञान विभाग में रीडर के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है।" इंजीनियरिंग रद्द कर दी जाएगी"। चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 इस संचार के मद्देनजर शामिल नहीं हुआ है, इसलिए प्रस्ताव रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस स्थिति में, उसे आगे विस्तार की अनुमति देना उचित प्रतीत नहीं होता है।*आगे यह* यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी ने वास्तव में रिसर्च

एसोसिएट के पद पर या सहायक वैज्ञानिक के पद पर कुछ शोध किया था। यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि उसने अपने अलावा कोई शोध पत्र प्रकाशित किया था या वास्तव में किए गए शोध का कोई अन्य सबूत दिया था। फिर भी, यह कहा गया है कि उनके पास "नौ साल से अधिक का शोध अनुभव था"। किसी विश्वविद्यालय में रीडर का पद काफी वरिष्ठ पद होता है। सिद्ध योग्यता वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अनुभव की निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं किया। वास्तव में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, योग्यताओं के लिए आवश्यक है कि अनुसंधान अनुभव का मूल्यांकन "प्रकाशनों की गुणवत्ता, शैक्षिक नवीकरण में योगदान, नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के डिजाइन" के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि प्रकाशनों की गुणवत्ता, यदि कोई हो, का मूल्यांकन भी किया गया हो या प्रतिवादी ने शैक्षिक नवीकरण में योगदान दिया हो या कोई नया पाठ्यक्रम आदि डिज़ाइन किया हो।

(पैरा 15 और 16)

, *इसके अलावा,* एक अन्य तथ्य जो उल्लेख करने योग्य है, वह यह है कि भले ही यह प्रावधान किया गया है कि "शिक्षण या अनुसंधान" का आठ साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति पात्र है, फिर भी तथ्य यह है कि एक पाठक को पढ़ाना पड़ता है।निर्धारित योग्यता विशेष रूप से निर्धारित करती है कि "स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का पांच साल का अनुभव वांछनीय माना जाएगा"।यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उम्मीदवार को शिक्षण का कुछ अनुभव होना चाहिए।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का सुझाव है कि प्रतिवादी संख्या 5 का एक दिन का शिक्षण अनुभव भी गलत नहीं दिखाया गया है।इस स्थिति में, दूसरे प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। (पैरा 17)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति रद्द कर दी गई है।प्रतिवादी को पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। (पैरा 18)

वाई.पी. याचिकाकर्ता के वकील मलिक
सूर्यकांत, अधिवक्ता।
आर.के. मलिक, अधिवक्ता.
संतोष कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 व्यक्तिगत रूप से।
प्रलय
जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) 10 जनवरी 1996 को, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार ने पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में रीडर के दो पदों का विज्ञापन दिया। डेली ट्रिब्यून में छपे विज्ञापन का एक उद्धरण रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी.एल. के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 इन दो पदों के लिए उम्मीदवार थे। 9 फरवरी 1996 को उनका साक्षात्कार लिया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 और याचिकाकर्ता को योग्यता के क्रम में चुना गया। चूंकि केवल दो पद थे, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। 2 मार्च 1996 को, प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 को नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए। प्रतिवादी क्रमांक 5 15 मार्च 1996 को सेवा में शामिल हुए। प्रतिवादी क्रमांक 4 शामिल नहीं हुए। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर अनुरोध किया कि उसे नियुक्त किया जाए। उन्हें नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

(2) याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 5 रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि उसके पास निर्धारित शिक्षण अनुभव नहीं था।चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 शामिल नहीं हुआ है और प्रतिवादी संख्या 5 अयोग्य था, इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि प्रतिवादी को 'रीडर' के पद पर नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार करना चाहिए।

(3) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दायर लिखित बयान में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि रीडर के पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, उम्मीदवार के शोध अनुभव को शिक्षण अनुभव के रूप में माना जा सकता है। यह माना जाता है कि पांचवीं प्रतिवादी पात्र थी क्योंकि उसके पास 9 वर्षों से अधिक का शोध अनुभव था। चौथे प्रतिवादी के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि उसे 16 जुलाई, 1996 तक शामिल होने के लिए विस्तार दिया गया था। 12 मई, 1996 को, हरियाणा सरकार ने भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजतन, उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकी. उन्होंने 1996 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8527 दायर किया। विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद प्रतिवादी को नियुक्ति दी जाएगी। नतीजतन, रिट याचिका 13 अगस्त, 1996 को अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। प्रतिबंध हटने के बाद "प्रतिवादी नंबर 4 को 5 मई, 1997 तक पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में रीडर के रूप में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए कहा गया है।" "। इन आधारों पर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयन वैध है और याचिकाकर्ता के पास शिकायत का कोई कारण नहीं है।

(4) पार्टियों के वकील को सुना गया है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि चौथा प्रतिवादी 31 जुलाई, 1997 तक शामिल नहीं हुआ है।प्रतिवादी संख्या 5 अपात्र था।नतीजतन, उनकी नियुक्ति अवैध थी।याचिकाकर्ता जो योग्यता के आदेश में अगला है, नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(6) विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि चौथा प्रतिवादी पहले से ही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बठिंडा में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है।उन्होंने पहले ही गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में शामिल होने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है।जैसे ही उन्हें राहत मिलेगी, वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।वकील ने कहा कि पाँचवाँ प्रतिवादी पात्र था।यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रतिवादी संख्या 4 को नियुक्त करने का इच्छुक है क्योंकि वह पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है जबकि प्रतिवादी संख्या 5 को पर्यावरण विज्ञान का अनुभव है।यदि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए पद पर भी नियुक्त किया जाता है, तो दोनों पदों पर उन व्यक्तियों का कब्जा होगा जिन्होंने पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है।इन परिसरों में, विद्वान वकील ने कहा कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(7) विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दो प्रश्न हैं:—

(i) क्या विश्वविद्यालय का आज तक प्रतिवादी संख्या 4 की प्रतीक्षा करना उचित है?

(ii) क्या प्रतिवादी संख्या 5 पाठक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र था?

:

मान लीजिए, चयन फरवरी 1996 में किया गया था।चयन के तुरंत बाद चौथे प्रतिवादी को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था।प्रतिवादी संख्या 5 15 मार्च, 1996 को शामिल हुए थे, प्रतिवादी संख्या 4 मैंने समय बढ़ाने के लिए कहा था।इस अनुरोध को समय-समय पर स्वीकार किया जाता था।22 जुलाई, 1997 को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के वकील श्री सूर्यकांत ने इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष कहा था कि प्रतिवादी संख्या 4 को 31 जुलाई, 1997 तक शामिल होने के लिए अंतिम विस्तार दिया गया है।" नतीजतन, मामले को

4 अगस्त, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अंततः इसे 5 अगस्त, 1997 को लिया गया।उस तारीख को भी प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सेवा में शामिल नहीं हुआ था।

(8) ज्वाइनिंग-टाइम का विस्तार कभी भी जारी रहने वाली या कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी ने करीब डेढ़ साल तक इंतजार किया। समय को और बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। यह देखा जा सकता है कि श्री सूर्यकांत ने हमारे सामने शून्य दिनांकित पत्र की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की थी, जिसे 14 जुलाई, 1997 को जारी किया गया था, जिसके द्वारा चौथे प्रतिवादी को 31 जुलाई, 1997 तक शामिल होने के लिए कहा गया था। यह प्रति पत्र को मार्क 'ए' के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है। इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि यदि "आप 3 1 जुलाई, 1997 तक अपने कर्तव्यों में शामिल होने में विफल रहते हैं, तो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में रीडर के रूप में आपकी नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।" चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 इस संचार के मद्देनजर शामिल नहीं हुआ है, इसलिए प्रस्ताव रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(9) यहां तक कि चौथा प्रतिवादी भी उपस्थित हुआ था।उन्होंने हमारे सामने कहा था कि वह शामिल होने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके नियोक्ता द्वारा राहत नहीं दी गई थी।ऐसा हो सकता है।हालाँकि, तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया अंतिम विस्तार पहले ही समाप्त हो चुका है।इस स्थिति में, उसे आगे कोई विस्तार देना उचित नहीं प्रतीत होता है।

(10) याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 5 रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।क्या ऐसा ही है?

(11) लिखित राज्य के पैराग्राफ 3 में, जहाँ तक अनुभव आदि का संबंध है, रीडर के पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ इस प्रकार हैंः—

> डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य के साथ अच्छा विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड।इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर के उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड भी होना चाहिए।
>
> शिक्षण और/य अनुसंधान का आठ साल का अनुभव जिसमें अनुसंधान की डिग्री के लिए 3 साल तक का अनुभव शामिल है और इसने छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में कुछ छाप छोड़ी है जैसा कि प्रकाशनों की गुणवत्ता से पता चलता है।शैक्षिक नवीकरण, नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के डिजाइन में योगदान।5 पी. जी. कक्षाओं को पढ़ाने का वर्षों का अनुभव वांछनीय माना जाएगा।"

(12) शिक्षा और/या अनुसंधान का आठ साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास शिक्षण और/या अनुसंधान का आठ साल का अनुभव होता है।शोध डिग्री के लिए 3 साल तक का श्रेय दिया जा सकता है।यह भी प्रदान किया गया है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का पाँच साल का अनुभव एक वांछनीय योग्यता है।विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 ने आवेदन में अनुभव का उल्लेख किया थाः—

"1. एच. ए. यू. से निदेशालय (निदेशालय) की डिग्री।हिसार।	यू. जी. सी. दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य तीन साल का शोध अनुभव।
2. **रिसर्च एसोसिएट, एच. ए. यू., हिसार।**	**9-5-1989 17-7-1990 तक।**
3. सहायक वैज्ञानिक रिमोट सेंसिंग सेंटर, हिसार।	18-7-1990 25-1-1996 तक।"

(13) यहां तक कि अगर उपरोक्त स्थिति स्वीकार नहीं की जाती हैःसही, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी ने वास्तव में या तो शोध सहयोगी के पद पर या सहायक वैज्ञानिक के पद पर कुछ शोध किया था।यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि उन्होंने कोई शोध पत्र प्रकाशित किया था या वास्तव में उनके द्वारा किए गए शोध का कोई अन्य सबूत नहीं दिया था।फिर भी, यह माना जाता है कि उन्हें "नौ साल से अधिक का शोध अनुभव था।"

(14) विश्वविद्यालय में रीडर का पद एक उचित पद है। सिद्ध योग्यता वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अनुभव की निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं किया। वास्तव में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, योग्यताओं के लिए आवश्यक है कि अनुसंधान अनुभव का मूल्यांकन "प्रकाशनों की गुणवत्ता, शैक्षिक नवीकरण में योगदान, नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के डिजाइन" के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि प्रकाशनों की गुणवत्ता, यदि कोई हो, का कभी मूल्यांकन किया गया हो या प्रतिवादी ने शैक्षिक नवीकरण में योगदान दिया हो या कोई नया पाठ्यक्रम आदि डिज़ाइन किया हो।

(15) एक और तथ्य जो उल्लेख के लायक है, वह यह है कि हालांकि, यह प्रावधान किया गया है कि आठ साल का शिक्षण और/या अनुसंधान का अनुभव रखने वाला व्यक्ति पात्र है, फिर भी तथ्य यह है कि एक पाठक को पढ़ाना होगा। निर्धारित योग्यताएं विशेष रूप से निर्धारित करती हैं कि "स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का पांच साल का अनुभव वांछनीय माना जाएगा।" यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उम्मीदवार के पास शिक्षण का कुछ अनुभव होना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का यह सुझाव कि प्रतिवादी संख्या 5 के पास एक दिन का भी शिक्षण अनुभव नहीं था, गलत नहीं दिखाया गया है। ऐसे में दूसरे सवाल का जवाब याचिकाकर्ता के पक्ष में होना जरूरी है.

(16) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका को प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति को रद्द करने की अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा जिसका मूल्यांकन 5000 रुपये पर किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।
आकांक्षा सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)